पुस्तकालय

2408
17.7.03

असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 JUL 2003

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

वि० स० मु० (एस० ए०) 173—मोनो—500—16-12-2002—

द्वादश विधान सभा — मंगलवार, तिथि 15 जुलाई, 2003 ई0

एकादश-सत्र — 25 आषाढ़, 1925 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय- 11.00 बजे पूर्वाह्न)

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।

अध्यक्ष:- सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । माननीय सदस्य श्री रामनरेश राम जी अभी आप बैठिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष:- जीरो आवर में इसको उठाईयेगा, अभी कुछ नहीं सुनेंगे । प्रश्नोत्तर काल (अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-70

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या:-70

श्री रामचन्द्र राम"रमण"(मंत्री):- खण्ड 1, 2 एवं 3:- उत्तर ..., अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या-एल0जी0-1-03/91-लेज-77 दिनांक 4.3.92 द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1976 को संशोधित करते हुए अरबी फारसी के उच्चस्तरीय अध्ययन के विकास के लिए मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। तत्पश्चात् विभागीय अधिसूचना संख्या-229 दि07.4.1998 द्वारा ... दिनांक 18.4.98 से मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी । विश्वविद्यालय का मुख्यालय, पटना निर्धारित किया गया तथा इसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार तय की गई । तत्पश्चात् स्वीकृत्यादेश सं0-1614 दिनांक-8.10.1998 द्वारा रुपये 25.00 लाख की स्वीकृति विश्वविद्यालय के लिए की गई । उक्त विश्वविद्यालय के लिए 20 हार्डिंग रोड में कार्यालय खोलने की भी निर्णय लियागया तथा विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति भी हुई थी । विभागीय आदेश सं0-1782 दिनांक 24.10-98 द्वारा श्री हसन वारिस, उप शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग को उक्त विश्वविद्यालय का विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । विश्वविद्यालय की कार्यकारी बनाने की रूपरेखा तैयार करने, नियम परिनियम का प्रारूप तैयार करने आदि के लिए तीन शिक्षाविदों की समिति अधिसूचना सं0-14/एम 1-202/93 उच्च शिक्षा-1338 दिनांक 17.8.2000 द्वारा गठित की गयी थी समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त अपने प्रतिवेदन में यह भी सुझाव दिया है कि

टर्न-I/राजेश/15.7.2003

विश्वविधालय के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक ढ़ाँचा को खड़ा करने के लिए शिक्षाविदो बुद्धिजीवियों एवं प्रशासकों के एक कोर ग्रूप का गठन किया जाय । समिति के उव सुझाव पर कार्रवाई प्रारंभ को गयो है तथा निम्नांकित विश्वविधालय के कुलपति कुलसचिव से संपर्क करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ को गयो है:-

(1) मौलाना आजाद राष्ट्रीय खुला विश्वविधालय, हैदराबाद ।

(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविधालय, अलीगढ़ ।

(3) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय खुला विश्वविधालय ।

(4) जामिया मिलिया दिल्ली ।

(5) हमदर्द विश्वविधालय, दिल्ली ।

क्रमशः

टर्न-2/15.7.03/सच्चिदा ।

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या - क-70 का पूरक ।

श्री राम लखन राम "रमण" (मंत्री): विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों, शैक्षिक एवं प्रशासनिक ढाँचों के बारे में स्पष्ट अभिमत स्थिर करने के पश्चात ही शैक्षिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहारिक विश्वविद्यालय की स्थापना संभव है । इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि विगत 17 अगस्त, 2001 में समिति गठित हुई और जुलाई 2002 में इसकी रिपोर्ट भी आ गयी है लेकिन उस रिपोर्ट के आधार पर आजतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इसका उत्तर दीजिये । वर्ष 1998 से लेकर 2003 के 7 वें माह चल रहा है, करीब-करीब 4-5 वर्ष बीत गया, अभी तक किसी यूनिवर्सिटी से उसके कार्यक्षेत्र के बारे में रिपोर्ट आयी ? इस दिशा में कोई निर्णय लिया गया? कहीं किसी तरह की बात नहीं है । क्या उसमें समय-सीमा के अंदर जो निर्णय लिया गया विश्वविद्यालय खोलने के बारे में, तो उसको कार्यरूप देने की स्थिति कब तक आयेगी ?

श्री राम लखन राम "रमण" (मंत्री): महोदय, दो महीना में सभी विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर और रिपोर्ट लेकर इसपर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा ।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: ... कोर ग्रुप का जो गठन हुआ था, उसमें सारे पाठ्यक्रम का प्रस्ताव बनाना था, लेकिन आज तक एक भी कार्य नहीं हुआ है । साथ ही हाईकोर्ट ने उस आवास के बारे में सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि कोर ग्रुप जो बना था, उसकी बैठकें हुई या नहीं और यदि हुई तो कितनी बैठकें हुई ?

श्री राम लखन राम "रमण" (मंत्री): महोदय, शिक्षा विदों की एक समिति बनायी गयी थी जिसने जून 2002 में अपना प्रतिवेदन समर्पित किया । उसमें उसने कोर ग्रुप गठन का सुझाव दिया था । हम कोर ग्रुप के गठन एवं तमाम विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मंगा रहे हैं ।

अध्यक्ष: अभी तक कोर ग्रुप का गठन नहीं हुआ ?

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस विश्वविद्यालय के प्रोवि भाइस चान्सलर, फाइनान्स ऑफिसर और पी०सी०ओ० के पद पिछले तीन साल से रिक्त है, क्या कारण है कि आपने जो कमिटी बनायी, उसमें मुख्तारउद्दीन को सी०सी० बनाया, बारसी को फायनेन्स

टर्न-2/15.7.03/सच्चिदा ।

ऑफिसर बनाया और वर्ष 2001 में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और उसके बाद न कुलपति, प्रतिकुलपति और न फायनेन्स ऑफिसर की नियुक्ति की गयी है ? आपने कमिश्नर सारण को भी अधिकार नहीं दिया है । उसका कार्यालय 28, क्रांति मार्ग में बना था । हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया । जहां तक मुझे जानकारी है कि 28, क्रांतिमार्ग में कोई दबंग आदमी रह रहे हैं । अभी तक उसको अवैध कब्जा से मुक्त नहीं कराया गया है ।

श्री राम लखन राम "रमण" (मंत्री) : विश्वविद्यालय को जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गयी थी वह कार्यकारी विश्वविद्यालय नहीं हो पाया जिसके लिए शिक्षा विदों की समिति बनायी गयी और उसने कोर ग्रुप के गठन का सुझाव दिया ।

(5)

अल्प सूचित प्रश्न संख्या- क. 70 पर पूरक -क्रमशः

अध्यक्ष- माननीय मंत्री जी, आप सिर्फ . तीन बातों का उत्तर दे दीजिये।

श्री राम लखण राम "रमण"-मंत्री- महोदय, इसका डिटेल्स दूसरी तिथि को दे देंगे ।

व्यवधान

श्री सुशील कुमार मोदी, नेता, विरोधी दल- महोदय, कांग्रेस और राजद की समन्वय समिति में यह मामला उठाया गया था।

व्यवधान

महोदय, ढाई सालों तक पद रिक्त रहा, इन्होंने प्रो-वाईस चांसलर क्यों नहीं नियुक्त किया, वाईस-चांसलर क्यों नहीं नियुक्त किया और 28 क्रांति मार्ग को सुपुर्द क्यों नहीं किया ?

श्री भोला प्र0 सिंह- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि यह विश्वविद्यालय चार-पांच वर्षों में कोई शरीर और आकृति ग्रहण नहीं कर सका . और जब शरीर और आकृति ही नहीं है तो भी0सी0 की बहाली क्या होगी ?

अध्यक्ष- पहले भी0सी0 थे जो 2002 में रिटायर कर गये ।

श्री अखलाक अहमद - अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि मौलाना मजहरूल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के रिटायर सीनियर प्रो0 डाक्टर इजाहल हक को भी0सी0 नियुक्त किया गया था और किस कारण से वे इस्तीफा दे कर चले गये ?

श्री राम लखण राम "रमण"-मंत्री- महोदय, हम देख लेंगे कि किस कारण से वह इस्तीफा देकर चले गये ।

श्री नवीन किशोर प्र0सिन्हा- अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को अपने विभाग पर अंकुश नहीं है। इसलिए विधान-सभा की विशेष समिति बना दिया जाये जो सारे परिप्रेक्ष्य में देखकर प्रतिवेदन दे ।

श्री विजेन्द्रप्रसाद यादव- अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फैसला लिया और मौलाना मजहरूल हक उर्दू फारसी विश्वविद्यालय के भी0सी0 नियुक्त हो गये, प्रो0 भी0सी0 नियुक्त हो गये, ओ0एस0डी0 नियुक्त हो गये, फिर सरकार ने ही एक्सपर्ट की कमिटी बनाई, यह काम भी0सी0 का था और फिर दो-तीन साल एक्सपर्ट कमिटी की अनुशंसा में लग गया महोदय; टर्म्स और ऑफ रेफरेन्स सारी चीजों को देख कर सरकार जवाब दें, इसके लिए इस प्रश्न को स्थगित रखा जाये ।

र्न-3/कृष्णा/15-7-03.

॥ व्यवधान ॥

अध्यक्ष- माननीय मंत्री । आप सिर्फ चार बातों का उत्तर अगली तिथि को दे दीजिये। यह प्रश्न अगली तिथि के लिये स्थगित हुआ ।

1- कुलपति के त्याग-पत्र देने के बाद अभी प्रभारी कुलपति कौन हैं ?

2- कोर ग्रुप का गठन क्यों नहीं किया ?

3- हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद 28, क्रांति मार्ग को उसका मुख्यालय क्यों नहीं अधिसूचित किया ?

4- अब तक की प्रगति क्या है ?

श्री राम लखन राम "रमण" मंत्री ॥- जी अच्छा।